रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2002/अग्रहायण 6, 1924
No. 535] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2002/AGRAHAYANA 6, 1924

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 782(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा प्रदाता द्वारा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का रखना) नियम 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम , 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) " सेवा प्रदाता" का वही अर्थ है जो उसका अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (म) में है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

3. लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का रखना (1) प्रत्येक सेवा प्रदाता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से निम्नलिखित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, अर्थात् :-

(i) स्थिर आस्तियों की मदवार मूल और चालू लागत सेवावार दर्शाने के लिए लेखा बहियां और आस्तियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए पृथक शीर्ष रखे जा सकेंगे ,

(ii) सेवावार मदवार संक्रियात्मक व्ययों को दर्शाने के लिए लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज,

(iii) सेवावार राजस्व दर्शाने के लिए लेखा बहियां ,

(iv) अन्य स्रोतों से आय दर्शित करने के लिए लेखा बहियां,

(v) समर्थक लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेज जैसे -

(क) स्थिर आस्तियां रजिस्टर,

(ख) स्टोर सामान और अतिरिक्त भागों का रजिस्टर,

(ग) अभिदाताओं की विशिष्टियां, सेवावार दर्शाने वाला रजिस्टर

(घ) ग्राहकों से निक्षेपों को दर्शित करने वाला रजिस्टर,

(ङ) रोकड़ बही,

(च) रोजनामचा,

(छ) लेज़र, और

(ज) बिलों की प्रतियां और सभी रसीदों के प्रतिपर्णों की प्रतियां ।

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) "मदवार" से कुल लागत और उसके खण्डों के लिए भी, दोनों के लिए अपेक्षा अभिप्रेत है,

(ख) " चालू लागत " से अवक्षयण के पश्चात लागत अभिप्रेत है,

(ग) " स्थिर आस्तियां " के अन्तर्गत उपशीर्ष जैसे भवन, संयंत्र और मशीनरी आदि हैं ।

(2) प्रत्येक सेवा प्रदाता प्राधिकरण को उस स्थान के बारे में सूचित करेगा जहां लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं ।

4. लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने के लिए अनुदेश (1) जहां सेवा प्रदाता एक दूर संचार सर्किल से अधिक में वही सेवा प्रदान कर रहा है, वहां नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज प्रत्येक अनुज्ञप्त सेवा क्षेत्र के संबंध में पृथक् रूप से रखे जाएंगे ।

(2) नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे संबंधित है, अन्तिम दिन से चार वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएंगे ।

(3) अन्तिम लेखाओं को सेवा प्रदाता के मुख्यालय में रखा जाएगा ।

(4) फील्ड कार्यालय अपने कार्यान्वयन के क्षेत्र से संबंधित लेखाओं को रखेंगे, जो मुख्यालय में रखे गए अन्तिम लेखाओं में निगमित किए जाएंगे, अर्थात् यह कि - मुख्यालय के अन्तिम लेखाओं में फील्ड कार्यालयों में रखे गए सभी लेखे सम्मिलित होंगे ।

(5) बिलों और प्राप्तियों की प्रतियां रखे जाने की अपेक्षा वहां लागू नहीं होगी जहां प्रश्नगत राशि दो सौ रुपए से अधिक नहीं है ।

5. लेखा परीक्षा

प्रत्येक सेवा प्रदाता नियम 3 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी लेखा बहियों और दस्तावेजों का प्राधिकरण को प्रदाय करेगा जिनका राजस्व के सत्यापन पर प्रभाव होगा -

(i) अनुज्ञप्ति फीस की गणना करने के प्रयोजन के लिए, और

(ii) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उससे संबंधित विवरण या जानकारी देने के लिए जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करे और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उनकी लेखा परीक्षा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (1971 का 56) की धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार कर सकेगा ।

[फा. सं. 7/5/98-टीसीओ]

पी.के. तिवारी, उप सचिव (आरईएसटीजी)